

न्यायालय उपखण्ड न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

प्रीठासीन अधिकारी :- अनिल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या - 181/2025

बनाम

प्रार्थीगण

1. साकरराम पुत्र केवाराम जाति मेघवाल
निवासी रामसर।

विप्रार्थी

1. तहसीलदार रामसर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राज0भू0राज0 अधिनियम
आदेश

दिनांक 19.05.2025

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा साबु का पार पटवार मण्डल भीण्डे का पार के खसरा संख्या 11,07,23,79,20 में प्रार्थी का नाम शंकरराम पुत्र केवा व माताजी का नाम बादली पत्नि केवा दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का सही नाम साकरराम पुत्र केवाराम तथा माताजी का नाम बबरी पत्नि केवाराम है प्रार्थी का नाम अन्य दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र तथा शैक्षणिक दस्तावेजों में साकरराम पुत्र केवाराम दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.05.2025 को दर्ज किया गया।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं संलग्न दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा साबु का पार पटवार मण्डल भीण्डे का पार के खसरा संख्या 11,07,23,79,20 में प्रार्थी का नाम शंकरराम पुत्र केवा व माताजी का नाम बादली पत्नि केवा के स्थान पर साकरराम पुत्र केवाराम तथा माताजी का नाम बबरी पत्नि केवाराम दुरुस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।

क्रमांक : रीडर/2025/699
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर।
2. प्रार्थी साकरराम पुत्र केवाराम तथा माताजी का नाम बबरी पत्नि केवाराम



(अनिल कुमार) कारी
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
दिनांक 19.05.2025

उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर